कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक /मान्यता /212 /2015–16, दिनांक 21-4-15

प्रबन्धक,

रमा देवी इण्टरनेशनल जू0हा0 स्कूल , ग्राम रौजा जलालपुर

विकास खण्ड बिसरख ,जनपद गौतमबुद्धनगर

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.8.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध मे विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से,मै उपरोक्त विद्यालय को नवीन शैक्षिक सत्र 2015–16 से तीन वर्ष की अवधि के लिये नर्सरी कक्षा से कक्षा 08 तक के लिये अग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्याधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रूप से कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई मान्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 (उपाबन्ध 2)के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडौंस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 मे निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा--

i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।